न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 27/2023 **दायर दिनांकः 06.07.2023**

उनवान

1. रामगोपाल आयु 57 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति किराड निवासी हनुवतखेडा तह. अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. रामरतन आयु 70 वर्ष पुत्र प्यारेलाल जाति किराड निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. हसराज आयु 45 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति किराड निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
3. मदनलाल आयु 65 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति किराड निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट.

उपस्थिति :—
प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

निर्णय

दिनांक— 09.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता कि पूर्ण आशा है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम एवं माल हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 226 के खसरा नं. 131 का रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 134 का रकबा 1.12 है0, खसरा नं. 177 का रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 179 का रकबा 0.61 है0, खसरा नं. 288 का रकबा 0.31 है0, खसरा नं. 872/160 का रकबा 0.04 है0, आराजी कुल किता 6 का रकबा 2.36 है0 भूमि स्थित है जो वादी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो

काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित भूमि खसरा नं. 134 का रकबा 1.12 है0 भूमि पर वादी ने सोयाबीन की फसल बो रखी है। प्रार्थी के खेत के आगे छीपाबडोद तहसील में प्रतिवादीगण के खेत है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे शुदा भूमि में जबरन रास्ता निकालकर शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं अप्रार्थीगण ने पूर्व में भी वादी के खेत में हो रहे कोट के पत्थरों को हटाया था जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की भूमि पर रास्ता बनाकर जबरन काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अप्रार्थीगण दादागिरी के दम पर अवैधानिक तरीके से प्रार्थी की इस भूमि पर जबरदस्ती रास्ता निकालकर बोई हुई फसल को हंकवाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 05/07/2023 को धमकी दी की हम इस भूमि पर होकर निकलेंगे तथा जबरन खड़ी फसल में ट्रेक्टर डाल दिया, प्रार्थी शान्तिप्रिय व्यक्ति है बिना इमदाद अदालत अप्रार्थीगण के अवैध कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है । अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वाद पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं न्याय का संतुलन प्रथम दृष्टया के प्रार्थी के पक्ष में है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि—ताफैसलावाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी ग्राम एवं माल हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 226 की खसरा नं. 134 का रकबा 1.12 है0 भूमि पर भूमि में प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, ऐसा कृत्य अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सूनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम एवं माल हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 226 कुल किता 6 का रकबा 2.36 है0 भूमि स्थित है जो प्रार्थी के खाते दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी में से खसरा नं. 134 का रकबा 1.12 है0 भूमि पर प्रार्थी ने पत्थर का कोट पर सोयाबीन की फसल बो रखी है लेकिन अप्रार्थीगण जबरन दादागिरी के बल पर प्रार्थी के पत्थर के कोट को गिराकर फसल में से होकर रास्ता बनाने पर आमादा है।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल जमाबन्दी ग्राम व माल हनुवतखेडा पटवार हल्का गोरधनपुरा सम्वत 2073—2076 खाता संख्या 226 के खसरा नं. 131 का रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 134 का रकबा 1.12 है0, खसरा नं. 177 का रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 179 का रकबा 0.61 है0, खसरा नं. 288 का रकबा 0.31 है0, खसरा नं. 872/160 का रकबा 0.04 है0, आराजी कुल किता 6 का रकबा 2.36 है0 आराजी रामगोपाल पुत्र धन्नालाल हिस्सा पूर्ण जाति किराड सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

अस्थाई व्यादेश में तीन शर्तों पर ध्यान देना आवश्यक है—

- प्रथम दृष्टया मामला
- सुविधा का संतुलन
- अपूरणीय क्षति

प्रकरण में ग्राम व माल हनुवतखेडा की आराजी खाता संख्या 226 का ख0नं0 134 का रकबा 1.12 है0 किस्म माल 1 प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थी के खाते की आराजी से बिना विधिक प्रक्रिया से जबरन रास्ता निकालने पर उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::—कियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक किया जाता है तथा ताफैसलावाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम व माल हनुवतखेडा तहसील अटरू में स्थित आराजी खाता संख्या 226 के ख0नं0 134 का रकबा 1.12 है0 आराजी पर प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण तथा उनके प्रतिनिधि दखल नही देवें।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां